



UPSI010012942020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2, सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं०-204/2020

CISN0 13156-2019

सरकार बनाम जाजू उर्फ राजू

मु०अ० सं०-298/2019

धारा-498ए, 304बी, भा०द०सं०

व धारा 4 डीपी०एक्ट

थाना तम्बौर, जिला सीतापुर।

### आरोप

मैं, गगन कुमार भारती, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2, सीतापुर आप जाजू उर्फ राजू के विरुद्ध निम्न आरोप लगाता हूँ:-

1- यह कि दिनांक 05.09.2019 को समय अदम तहरीर बहद स्थान ग्राम मोहम्मदपुर उसिया मकान अभियुक्त अन्तर्गत थाना तम्बौर जनपद सीतापुर सीमान्तर्गत आपने वादी मुकदमा शत्रोहन निषाद की पुत्री सुनीता के पति होते हुए अतिरिक्त दहेज की क्रमिक मांग को लेकर उसको मारकर लटका दिया। ऐसा करके आपने धारा 304बी भा० दं० सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर एवं शादी के पश्चात से आपने अपने वादी मुकदमा शत्रोहन निषाद की पुत्री सुनीता के पति होते हुए अतिरिक्त दहेज की क्रमिक मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसके साथ क्रूरता का कार्य किया। ऐसा करके आपने धारा 498ए भा० दं० सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर व उसके पूर्व शादी के पश्चात से आपने वादी मुकदमा शत्रोहन निषाद की पुत्री सुनीता से अतिरिक्त दहेज की मांग की। ऐसा करके आपने धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा हो।

दिनांक-01-02-2021

(गगन कुमार भारती)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2,  
सीतापुर।

J.O.Code-UP6253

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(गगन कुमार भारती)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2,  
सीतापुर।

J.O.Code-UP6253

गजराज/



UPSI010012942020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2, सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं०-204/2020

CISN0 13156-2019

सरकार बनाम जाजू उर्फ राजू

मु०अ० सं०-298/2019

धारा-498ए,304बी, भा०द०सं०

व धारा 4 डीपी०एक्ट

थाना तम्बौर, जिला सीतापुर।

अतिरिक्त आरोप

मैं, गगन कुमार भारती, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2, सीतापुर आप जाजू उर्फ राजू के विरुद्ध निम्न आरोप लगाता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 05.09.2019 को समय अदम तहरीर बहद स्थान ग्राम मोहम्मदपुर उसिया मकान अभियुक्त अन्तर्गत थाना तम्बौर जनपद सीतापुर सीमान्तर्गत आपने वादी मुकदमा शत्रोहन निषाद की पुत्री सुनीता की हत्या कर दी। ऐसा करके आपने धारा 302 भा० दं० सं० के अनतग्रत दण्डनीय अपराध किया जो इस नयायालय के प्रसांन में है।

मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा हो।

दिनांक-01-02-2021

(गगन कुमार भारती)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2,  
सीतापुर।

J.O.Code-UP6253

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(गगन कुमार भारती)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2,  
सीतापुर।

J.O.Code-UP6253

गजराज/